न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–198/2026
फारबिसगंज थाना कांड संख्या– 602/2025

रवि चंद्र बिश्वास.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

29-06-2026 आवेदक/अभियुक्त रवि चंद्र बिश्वास, पिता–स्व0 सुधीर बिश्वास की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो फारबिसगंज थाना कांड संख्या– 602/2025, अंतर्गत धारा–329(3), 126(2), 115(2), 118(1), 85, 352, 351(2), 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनय कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका सम्पा विश्वास के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि उसकी शादी को करीब 15 वर्ष बीत चुका है। सूचिका को दो लड़की है। अभियुक्तगण उसके उपर हमेशा गलत–गलत आरोप लगाता है और चरित्रहीन औरत का झुठा आरोप लगाकर एक सप्ताह से घर में बंदकर मारपीट कर प्रताड़ित किया है। दिनांक 28.11.2025 को समय करीब 09 बजे दिन में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण उसे गाली–गलौज करते हुए मारपीट कर जख्मी कर दिया। रूपा देवी एवं कनक रानी ने बाल पकड़कर जमीन पर गिराकर उसके शरीर को अर्द्धनग्न कर दिया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है। आवेदक सूचिका का पति है। आवेदक अपनी पत्नी को पूर्ण गरिमा एवं सम्मान के साथ रखने को तैयार है। आवेदक कभी भी सूचिका को दहेज हेतु प्रताड़ित नहीं किया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 329(3), 126(2), 115(2), 118(1), 85, 352, 351(2), 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक सूचिका सम्पा विश्वास का पति है। उक्त मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया में मध्यस्थता हेतु भेजा गया था। मध्यस्थता में आवेदक उपस्थित रहा है, जबकि विपक्षी सूचिका के अनुपस्थित रहने के कारण मध्यस्थता की कार्यवाही संभव नहीं हो सकी। कार्यालय द्वारा विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया तथा उनके दूरभाष पर सूचना दी गयी, लेकिन वह मध्यस्थता केंद्र में आने से इनकार किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होत है कि सूचिका के विरूद्ध निर्गत नोटिस का तामिला अभिलेख में संलग्न है, जिससे प्रतीत होता है कि सूचिका को वाद की पूर्ण जानकारी है और वह जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित है। कांड दैनिकी के पारा 29 में आवेदक को अनुसंधानकर्ता के द्वारा धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ दिया गया है। प्रस्तुत वाद लगभग पांच महीने से लंबित है। अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।